



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233047
CG-DL-E-01022022-233047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943

No. 93]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सं. 5/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 93(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 जो सं. सा.का.नि. 1045(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 334/01/2022-TRU]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक 54/2018-सीमा-शुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 संख्यांक सा.का.नि. 1045(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 55/2021 सीमा-शुल्क (एडीडी) तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिमवार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 681(अ), तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 5/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 93(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 54/2018-Customs (ADD), dated the 18th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1045(E), dated the 18th October, 2018, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 54/2018-Customs (ADD), dated the 18th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1045(E), dated the 18th October, 2018 and was last amended *vide* notification No. 55/2021-Customs (ADD), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.681(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सं. 6/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 94(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 25 सितंबर, 2019 को संख्यांक सा.का.नि. 691 (अ) तारीख 25 सितंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 334/01/2022-TRU]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 25 सितंबर, 2019 को संख्यांक सा.का.नि. 691 (अ) तारीख 25 सितंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 56/2021- सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो सा.का.नि. 682 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 6/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 94(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 38/2019-Customs (ADD), dated the 25th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 25th September, 2019, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 38/2019-Customs (ADD), dated the 25th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 25th September, 2019 and was last amended *vide* notification No. 56/2021-Customs (ADD), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.682(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

सं. 7/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 95(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 23 जून, 2020 को संख्यांक सा.का.नि. 397 (अ) तारीख 23 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 334/01/2022-TRU]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 23 जून, 2020 को संख्यांक सा.का.नि. 397(अ) तारीख 23 जून, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 57/2021- सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो सा.का.नि. 683 (अ) तारीख 30 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 7/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 95(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 16/2020-Customs (ADD), dated the 23rd June, 2020,

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 397(E), dated the 23rd June, 2020, except as respect things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 16/2020-Customs (ADD), dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 397(E), dated the 23rd June, 2020 and was last amended *vide* notification No. 57/2021-Customs (ADD), dated the 30th September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.683(E), dated the 30th September, 2021.